

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 204]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 जून 2020—आषाढ़ 9, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जून 2020

क्र. एफ ए-3-40-2018-1-पाँच-(42).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-40-2018-1-पाँच-(64), भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2019 एवं क्रमांक एफ ए 3-46-2019-1-पाँच(91) भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचनाओं में अंक एवं शब्द “30 जून 2020” के स्थान अंक एवं शब्द “31 दिसम्बर, 2020” प्रतिस्थापित किये जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रत्नाकर झा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2020

क्र. एफ ए-3-40-2018-1-पाँच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-40-2018-1-पाँच (42), दिनांक 30 जून, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रत्नाकर झा, उपसचिव.

Bhopal, the 30th June 2020

F A-3-40-2018-1-V-(42).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government hereby, makes the following further amendment in this department's notification No. F A 3-40-2018-1-V-(64) dated 27th September 2019 and No. F A 3-46-2019-1-V-(91) dated 29th November 2019, namely:—

AMENDMENT

In the said notifications, for the word and figure “30th June 2020”, the word and figure “31st December 2020” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.